



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-392

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 312841 दिनांक 07/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vidhya Devi W/o Babu Lal Saini	श्री हरलाल पुत्र श्री चोथमल	5	21.00 SQ. METER	JDA	PATRAKAR COLONY (COMM) Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदिका श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री बाबू लाल सैनी द्वारा जविप्रा की योजना पत्रकार कॉलोनी (नीलामी) के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या ए-5 के क्षेत्रफल 21 व0मी0 का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 04.08.2009 को श्री हरलाल पुत्र श्री चोथमल के नाम जारी किया गया था। लीजधारक द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2009 के माध्यम से श्रीमती मुकुल शर्मा पत्नी श्री अरुण कुमार शर्मा को बेचान



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

किया गया है।
क्रेता श्रीमती
मुकुल शर्मा की
मृत्यु दिनांक
09.10.2020 को
हो चुकी है।
श्रीमती मुकुल
शर्मा की मृत्यु
पश्चात श्री अरूण
कुमार शर्मा एवं
श्री अभिनव शर्मा
द्वारा आवेदित
भूखण्ड को
पंजीकृत हकत्याग
पत्र दिनांक
18.12.2021 के
माध्यम से श्री
अनुराग शर्मा पुत्र
श्री अरूण कुमार
शर्मा के पक्ष में
हकत्याग
निष्पादित किया
गया है। तत्पश्चात
हकत्याग ग्रहिता
अनुराग शर्मा
द्वारा आवेदित
भूखण्ड को
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
23.08.2022 के
माध्यम से श्रीमती
विद्या देवी पत्नी
श्री बाबू लाल सैनी
को बेचान किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Vidhya Devi W/o Babu Lal Saini को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।